कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही

क्रमांक– जि.वि.से.प्रा. / सिरोही / संविदा वाहन / 2024 / 02 दिनांक :– 08/04/2024

::वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 28.02.2025 तक के लिए वाहन महिन्द्र बोलेरो / अन्य सेवन सीटर / अन्य उपयुक्त वाहन को मासिक अनुबन्ध पर किराये पर लेने हेतु विज्ञप्ति::

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 435–465 / दिनांक 06.04.2024 की स्वीकृति के अनुसरण में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही हेतु सम्पूर्ण सिरोही जिला न्यायक्षेत्र के लिए अधिकतम प्रतिमाह रूपये 27,900 / – एवं 1500 किलोमीटर के अनुसार दिनांक 28.02.2025 तक की अवधि के लिए वाहन महिन्द्रा बोलेरो / सेवन सीटर गाडी / अन्य उपयुक्त वाहन टैक्सी परमीट मासिक अनुबन्ध पर किराये पर लेने हेतु ईच्छुक वाहन मालिक / ट्रेव0ल एजेन्सी मालिक / रजिस्टर्ड फर्मों से वाहन के प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के अधीन आंमत्रित किये जाते है–

नियम एवं शर्तें–

1. वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा 05 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन के किराया की दर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक–F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 05-04-2022 में वर्णित बिन्दु (जो लागू हो) के अनुसार प्रभावी होगी।
3. वाहन के ब्रेक डाउन / मरम्मत की स्थिति में तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथ 1,100– / (अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये) प्रवित दिवस के हिसाब से शास्ति काटी जावेगी।
4. वाहन चालक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए।
5. वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसैन्स वा वाहन से सम्बन्धित वाछित समस्त दस्तावेजात की सत्यापित प्रतियां इस कार्याजय में जमा करानी होगी।
6. राजकीय यात्रा के दौरान वाहन मालिक द्वारा वाहन पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम की प्लेट लगानी होगी तथा यात्रा समाप्ति के पश्चात् कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होंगी।
8. वाहन के लिए रखी गई लॉग बुक को प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी के समय–समय पर इन्द्राज कर भरी हुई प्रमाणित करवानी होगी।
9. वाहन किराये पर रखने के पश्वात् वाहन मालिक को 500 / –रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध का निष्पादन करवाकर एक सप्ताह के भीतर–भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. वाहन किराये पर रखने की अवधि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024–25 तक यानि 28.02.2025 तक होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सक्षम स्वीकृत प्राप्त होने पर आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
11. कर्तव्य स्थल से दूरी एवं समय की गणना की जावेगी।
12. वाहन किराये का बिल प्रति माह भूगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
13. वाहन किराये पर लेने सम्बन्धी वित्त विभाग का नवीनतम आदेश लागू होंगे।

प्रस्तावक वाहन से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव निम्नांकित दस्तावेंजो के साथ दिनांक 15.04.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक इस कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावो पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक अपना प्रस्ताव व्यक्तिशः अथवा इस कार्यालय की ईमेल dlsa33sirohi@gmail.com पर प्रषित कर सकते है।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज (यदि लागू हो)सलंग्न किये जाने आवश्यक है–

1. वाहन टैक्सी परमीट में रजिस्टर्ड होने के दस्तावेज की प्रति।
2. वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की वैध प्रति (आर. सी.)
3. वाहन के बीमा कराये जाने की प्रति
4. वाहन के फिटनेस दस्तावेज की प्रति।
5. वाहन से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज यदि हो।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही

क्रमांक :– जि.वि.से.प्रा./सिरोही/स्था./2024/619-629   दिनांक :– 08/04/2024

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को पत्रांक 435–465/दिनांक 06.04.2024 के क्रम में सादर प्रेषित हैं।

2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरोही को जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलॉड/प्रकाशन हेतु।

3. जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, आबूरोड/आबूपर्वत/शिवगंज/रेवदर/पिण्डवाड़ा को तालुका क्षेत्र के न्यायालय में चस्पा करने हेतु।

5. नगर परिषद् कार्यालय सिरोही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

7. सम्बन्धित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

सचिव
जिला विधिक सेवा सेवा प्राधिकरण
सिरोही